25/04/2022

प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

राजस्व पुनरीक्षण 25 / 2021

किशुन उरांव व अन्य बनाम् बुदा उरांव

प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन में उपायुक्त, राँची द्वारा विविध राजस्व अपील–44–R15/2017-18 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। प्रश्नगत् वाद में ग्राम–हड़सेर के खाता नम्बर–18 में अवस्थित कुल–19.43 एकड़ भूमि के जमाबंदी रद्द करने का विषय सन्निहित है।

विपक्षियों के तरफ से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद संख्या–26 / 2014–15 दायर किया गया था, जिसमें सुकरा उरांव व अन्य के नाम से रजिस्टर–02 में किये गये इन्द्राज को चुनौती दी गयी थी, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा मान्य करते हुये उक्त इन्द्राज को विलोपित करने का आदेश पारित किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रश्नगत् आदेश को सम्पुष्ट किया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। यह वाद Bihar Tenant Holding (Maintance of Record -1973) Act. के अन्तर्गत दायर किया गया है। आवेदकों का दावा है कि धारा–28 के तहत् आयुक्त न्यायालय को निम्न न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया है (JLJR475, 2004(3)

उभयपक्षों की तरफ से विस्तारपूर्वक सुनवाई की गयी एवं लिखित बहस भी दायर की गयी है।

सभी अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खाता नम्बर–18 संयुक्त रूप से थिबू उरांव, बुधा उरांव, गोविन्द उरांव एवं नथुआ उरांव के नाम से दर्ज है एवं अभ्युक्ति कॉलम में विभिन्न रैयतों का कब्जा दर्शाया गया है। आवेदक उक्त कब्जे को संबंधित रैयतों के बीच किया गया बंटवारा मानते है, जबकि विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि संयुक्त खाते की है, जिसका विधिवत् बंटवारा कभी भी नहीं हुआ है। आवेदकों का दूसरा दावा थिबू उरांव के अधिकार की भूमि उनके नाती सुकरा उरांव व अन्य को दिये जाने के संबंध में है, जबकि विपक्षी उक्त सुकरा उरांव के खतियानी रैयत के वंशज होने के दावे का विरोध करते है। पुनरीक्षित सर्वे में थिबू उरांव का नाम दर्ज करते हुये उनके नाती हेंगरे उरांव का दखल दर्ज किया गया था। आवेदक का दावा है कि हेंगरे उरांव, थिबू उरांव के घर–जमाई थे, जो उरांव पारम्परिक विधि के अनुरूप है। सीमांकन वाद संख्या–77-R8/1975-76 के प्रतिवेदन में सुकरा उरांव के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, जिसे उक्त समय में उनके समय में उनके दखल की सम्पुष्टि होती है। प्रश्नगत् भूमि की लगान रसीद भी लगातार सुकरा उरांव के नाम से ही निर्गत की जा रही है। अतः निम्न न्यायालयों द्वारा उक्त जमाबंदी को अवैध घोषित किया जाना उचित नहीं है।

विपक्षियों के द्वारा सुकरा उरांव के घर–दामाद होने के बात को चुनौती दी गयी है। उक्त सीमांकन वाद के संबंध में पूर्व में कोई चर्चा नहीं किये जाने का

दावा किया गया है। सुकरा उरांव के नाती हेंगरे उरांव के 06 पुत्र दर्शाये गये है, जिसे विपक्षी द्वारा विरोधाभाषी बताया गया है। उक्त हेंगरे उरांव प्रश्नगत् मौजा के निवासी नहीं है। विपक्षी का यह भी दावा है कि प्रश्नगत् अपीलार्थियों का इस भूमि से कोई सरोकार नहीं है एवं गलत तरीके से रजिस्टर–(II) में उनके नाम का इन्द्राज किया गया है।

प्रश्नगत् वाद में मूलतः बुदा उरांव के आवेदन पर मौजा–हड़सेर, खाता संख्या–18, रकबा–19.46 एकड़ भूमि की जमाबंदी जो सुकरा उरांव के नाम से कायम है, उसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा रद्द करने का आदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश एक पक्षीय था तथा मात्र विपक्षियों के दावों को सुनकर ही पारित किया गया था। अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में अंचल अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन उपलब्ध है, जिसमें यह उल्लेखित है कि प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी पंजी–(II) में पृष्ठ संख्या–18 पर सुकरा उरांव, पिता–हेंगरे उरांव के नाम से दर्ज है। यह आश्चर्यजनक है कि प्रतिवादी का पक्ष सुने बगैर तथा जमाबंदी के सुनवाई की तिथि, जमाबंदी दर्ज किये जाने के संबंधित अभिलेख आदि बिन्दुओं पर जाँच किये बिना भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा जमाबंदी विलोपन का आदेश पारित कर दिया गया, जबकि आर0 एस0 खतियान में ही उक्त भूमि थिबू उरांव ब–कब्जे नाती हेंगरे उरांव दर्ज है। स्पष्टतः आर0 एस0 खतियान में किये गये इन्द्राज को अनदेखी करते हुये भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत् भूमि की लगान रसीद भी लगातार सुकरा उरांव के नाम से ही निर्गत होती रही है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश में जमाबंदी के संदेहास्पद होने अथवा उसे जालसाजी एवं धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा मात्र जमाबंदी कायम किये जाने का कोई आधार दर्ज नहीं होने के कारण उसे विलोपित करने का आदेश दिया गया है।

उपायुक्त न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के दावों का उल्लेख अपने आदेश में किया गया है तथा अंत में यह कहा गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा उक्त जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार सृजित पायी गयी थी। इसी आधार पर उपायुक्त द्वारा भी जमांबंदी विलोपन का आदेश कायम रखा गया है। उपायुक्त न्यायालय द्वारा भी प्रश्नगत् जमाबंदी के गलत होने, धोखाधड़ी/जालसाजी से प्राप्त करने से संबंधित कोई स्पष्ट निष्कर्ष अंकित नहीं है। दोनों न्यायालयों के द्वारा लम्बे समय से निर्गत लगान रसीद, आर0 एस0 खतियान के इन्द्राज को पूर्णतः अनदेखा किया गया है। साथ ही सीमांकन वाद संख्या–77R8/1975-76 जिसमें अमीन प्रतिवेदन में सुकरा उरांव के भूमि के दखल का स्पष्ट उल्लेख है, उसको भी नजरअंदाज किया गया है। Recort of Rights के इन्द्राज अन्यथा साबित होने तक अंतिम माने जाते है। निम्न न्यायालयों के द्वारा आवेदकों को अपने स्वत्व साबित करने के लिये सक्षम व्यवहार न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया है, जबकि यह आदेश उन्हें विपक्षियों को देना चाहिए था, जिनके द्वारा इतने वर्षों के पश्चात् Recort of Rights में किये गये इन्द्राज को गलत घोषित करते हुये जमाबंदी विलोपन का अनुरोध किया गया था। उभय न्यायालयों के आदेश में उक्त जमाबंदी कब सृजित हुई तथा यह किस तरह से जालसाजी का कार्य है, इस विषय पर कोई उल्लेख नहीं है। रजिस्टर–(II) में किये गये इन्द्राज के लिये आवेदकों को

जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। आवेदकों के पक्ष में लगातार निर्गत लगान रसीद भी यह स्पष्ट करता है कि प्रश्नगत् भूमि के वे दखलकार रहे है। विपक्षियों के तरफ से वर्ष–2016 तक इस बिन्दु पर कभी भी आपत्ति नहीं उठायी गयी। स्पष्टतः Recort of Rights में किये गये इन्द्राज एवं लम्बे समय से संधारित जमाबंदी को बिना किसी ठोस आधार के रद्द घोषित नहीं किया जा सकता है। निम्न न्यायालयों के आदेशों में प्रश्नगत् जमाबंदी के धोखाधड़ी, जालसाजी अथवा गलत तरीके से सृजन किये जाने के बिन्दु पर कोई साक्ष्य एवं निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। जमाबंदी विलोपन करने का आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर पारित किया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। वर्णित तथ्यों के आलोक में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करते हुये निम्न न्यायालयों के आदेशों को रद्द किया जाता है।

यह विषय स्पष्टतः उभयपक्ष के वंशानुगत अधिकार एवं उरांव पारम्परिक विधि के अनुरूप महिला वारिसों के भूमि पर अधिकारों से संबंधित है। राजस्व न्यायालयों के द्वारा मात्र जमाबंदी रद्द कर ऐसे अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः उभयपक्ष एवं स्वतः एवं अधिकार हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

प्रमण्डलीय आयुक्त

प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.25 13:02:00 +05:30
Location: 192.168.1.40